श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

2022/28

प्रार्थी बलवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी वार्ड नं0 2 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,वारिसनामा के संबंध में शपथ–पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 1 ब्लॉक 82 बी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.07.2019 को एक बंद वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04. 11.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 01. 07.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान बलवंत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह एवं नितिन वधवा पुत्र चन्द्रशेखर ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अशोक तुली ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

पत्रावली अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

10/1/22

जिला पंजीयक महोदय

10/1/22